# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 15/2018 एफ.एस.एस.एक्ट

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा

— आवेदक—

बनाम

1. श्री गोविन्दराम पुत्र श्री भरतलाल शर्मा
एफबीओ मैसर्स — बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड़, सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 एफएसएस एक्ट 2006 सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक: 11.4.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.7.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.8.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि दिनांक 07.11.2017 को दोपहर 02.30 बजे मैसर्स— बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गोविन्दराम पुत्र श्री भरतलाल शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 15/2018 एफ.एस.एस.एक्ट

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की संस्थान पर सीमेंट की टंकी में करीबन 200 किग्रा पनीर ( 1 किग्रा वजनी पीस करीबन 200) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1 कि.ग्रा. पनीर खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखे एवं खाली स्टील की प्लेट में तोलकर दिया जिसकी कीमत 200 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा पनीर को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 20–20 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व (विक्रेता)एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 1806 ऊपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से ऊपर नीचे दोनों साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षकर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं0 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफबीओ विक्रेता को देकर उसकी रसदी फार्म नं0 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं0 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंन्द बोतल व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.11.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये। जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 08.11.2017 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.11.2017 को डी. ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2670/एक्ट/2017/2742 दिनांक 30.11.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है, जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

यह है कि अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। न्याय निर्णय आवेदन पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अभियुक्त की गई। अभियुक्त नियत पेशी दिनांक पर स्वयं उपस्थित हुआ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे यहां से पूर्व में लिए गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये हैं। दूध में या पनीर बनाने की प्रक्रिया में किसी कमी के कारण सबस्टैण्डर्ड हो सकता है। हमारे द्वारा ना तो दूध में से क्रीम निकाली जाती है और ना ही फेट में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है। हमारे द्वारा जानबूझकर किसी भी प्रकार से मिलावट नहीं की जाती है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रथम बार अनजाने में हुई गलती को माफ करते हुए कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करें।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या सं. एलएस/2670/एक्ट/2017/2742 दिनांक 30.11.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री गोविन्दराम पुत्र श्री भरतलाल शर्मा एफबीओ मैसर्स – बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011 की धारा 26 (2) के तहत उक्त खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधानो को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थी (अभियुक्त) को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011की धारा 26 (2) का

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री गोविन्दराम पुत्र श्री भरतलाल शर्मा एफबीओ मैसर्स – बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा पर 10,000/– ( अक्षरे दस हजार रू.) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 11.4.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 8736-38

दिनांकः– 11.4.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गोविन्दराम पुत्र श्री भरतलाल शर्मा एफबीओ मैसर्स – बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड सिकराय जिला दौसा

( राजवीर सिंह चौधरी )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official